



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 2, 2015/पौष 12, 1936

No. 30]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 2, 2015/PAUSHA 12, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2015

**का.आ. 33(अ).**—केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इस अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित कार्यों का निष्पादन, प्रत्येक राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के अध्वधीन किया जाएगा कि संबंधित राज्य सरकार ऐसे कार्यों को उक्त अधिसूचना के तहत वर्तमान में प्रवर्तन नियमावली के अनुपालन हेतु प्रतिबद्ध होगी तथा इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ), दिनांक 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 18 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

## तालिका

“18	राजमार्ग विभाग सं. 61, सं. 155, नई रारा सं. 129ए, 702, 702ए और 702बी के उतने भाग जितने नागालैंड राज्य में अवस्थित हैं।	नागालैंड राज्य सरकार ”
-----	--	------------------------

[फा. सं. एनएच-14013/21/ 2014-पीएण्डएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड एन)

**टिप्पण:** मूल अधिसूचना को का. आ. 1096(अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का. आ. 2787(अ), तारीख 29 अक्टूबर, 2014 द्वारा संशोधित किया गया था।

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd January, 2015

**S.O. 33(E).**— In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 18 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: —

**TABLE**

“18	So much of National Highways No. 61, No. 155, new NH No. 129A, 702, 702A and 702B as are situated within the State of Nagaland.	State Government of Nagaland”.
-----	---	--------------------------------

[F. No. NH/14013/21/2014-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&M)

**Foot note:** —The principal notification was published *vide* number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 2787(E), dated the 29th October, 2014.